

To,

1. Chairman/President of National Cooperative Societies/Federations,
2. MD/CEO of National Cooperative Societies/Federations,
3. MD/CEO of State Cooperative Banks.
4. MD/CEO of Urban Cooperative Banks.
5. MD/CEO of District Cooperative Banks.
6. MD/CEO of Multi-State Cooperative Societies

Sir/Madam,

As you are aware that in order to realize the vision of the Hon'ble Prime Minister of '**Sahakar Se Samriddhi**' (Prosperity through Cooperation) Ministry of Cooperation has taken several initiatives, of which "**Redressal of difficulties of Urban Cooperative Banks**" is one of the major initiative. In order to ensure better understanding and dissemination of information, a short video has been created on this Initiative in 13 different languages by this Ministry. YouTube links of the Video on MoC You-tube channel are as under:-

S.No	Language	YouTube Links
1	Assamese	https://youtu.be/Kx3LisAAu5M
2	Bengali	https://youtu.be/xOJRIMaI_pg
3	English	https://youtu.be/ubQvOmAAjVk
4	Gujarati	https://youtu.be/0UiB4BBVhs
5	Hindi	https://youtu.be/AixxpKWotus
6	Kannada	https://youtu.be/5Kk-016Ivr0
7	Malayalam	https://youtu.be/1e9oSWOJ3A4
8	Marathi	https://youtu.be/GTKp_k1UB_Q
9	Odia	https://youtu.be/h73aDR50VtM
10	Punjabi	https://youtu.be/FVsxyjUMvu4
11	Tamil	https://youtu.be/4RnCFYK5BII
12	Telugu	https://youtu.be/Z37bNxGoybQ
13	Urdu	https://youtu.be/m_bMAV8T7yw

2. Since this initiative will strengthen the Cooperative Sector at grassroot level it is also requested to circulate the above links to all your employees/account holders/members of your Bank/Society so that they may take benefits from the above initiative of the Ministry.

With regards,
 Deputy Secretary,
 Ministry of Cooperation,
 Government of India

Copy for information and necessary action to:

1. The Principal Secretary/Secretary (Cooperation) (All States/UTs)
2. State Resident Commissioners (All States/UTs)
3. RCS (All States/UTs)
4. All Deputy Commissioners/District Magistrates
5. All District Cooperative Registrars
6. All DPROs

सेवा में,

1. चेयरमैन/अध्यक्ष (सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों/फेडरेशन्स)
2. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों/फेडरेशन्स)
3. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सभी राज्य सहकारी बैंक्स)
4. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सभी शहरी सहकारी बैंक्स)
5. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक्स)
6. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सभी बहु-राज्य सहकारी सोसाईटी)

विषय: मंत्रालय की पहल “सहकारी बैंकों की कठिनाइयों का निवारण” पर 13 विभिन्न भाषाओं में लघु विडियो के यू-ट्यूब लिंक के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया

जैसा कि आपको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री की “सहकार से समृद्धि” की परिकल्पना को साकार करने हेतु सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न पहलों की हैं, जिनमें से “सहकारी बैंकों की कठिनाइयों का निवारण” एक प्रमुख पहल है। इस पहल की जानकारी बेहतर तरीके से पहँच सुनिश्चित करने के आशय से इस मंत्रालय द्वारा इस पहल पर एक लघु विडियो को 13 विभिन्न भाषाओं में बनवाया गया है। मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनल पर इस विडियो के लिंक इस प्रकार हैं :-

इस प्रकार हैं :-

क्रम सं	भाषा	यू-ट्यूब लिंक
1	असमिया	https://youtu.be/Kx3LisAAu5M
2	बंगाली	https://youtu.be/xOJRIMaL_pg
3	अंग्रेजी	https://youtu.be/ubQvOmAAjVk
4	ગुजરाती	https://youtu.be/0UiB4BBVhs
5	हिन्दी	https://youtu.be/AixxpKWotus
6	कन्नड़	https://youtu.be/5Kk-016Ivr0
7	मलयालम	https://youtu.be/1e9oSwoj3A4
8	मराठी	https://youtu.be/GTKp_k1UB_Q
9	उड़िया	https://youtu.be/h73aDR50VtM

10	ਪੰਜਾਬੀ	https://youtu.be/FVsxyjUMvu4
11	தமில்	https://youtu.be/4RnCFYK5BII
12	ଓଡ଼ିଆ	https://youtu.be/Z37bNxGoybQ
13	ଓଡ଼ିଆ	https://youtu.be/m_bMAV8T7yw

2. चूँकि इस पहल से सहकारिता क्षेत्र जमीनी स्तर तक सशक्त होगा इसलिए आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने अपने बैंक/सोसाइटी के सभी कर्मचारियों/खाताधारकों/ सदस्यों को उपरोक्त लिंक को सभी को प्रसारित करें जिससे की वह मंत्रालय की इस पहल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

सादर,
उप सचिव,
सहकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव/सचिव (सहकारिता)
2. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के रेजिंडेंट कमिश्नर
3. सहकारी समितियों के पंजीयक (सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों)
4. समस्त जिलाधिकारी
5. समस्त जिला सहकारी पंजीयक
6. सभी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर

